

जनपद-अम्बेडकर नगर में विगत 02 वर्षों में 06 शिक्षकों को निलम्बित किया गया है।

क्र० सं०	निलम्बित शिक्षक का नाम व पदनाम (सर्व श्री/सुश्री/ श्रीमती)	आरोपित बिन्दु
1	कमलेश यादव प्र०अ०, प्रा०वि० कजरी जमालुद्दीनपुर वि०ख० अम्बेडकरनगर।	1. नियमित रूप से विद्यालय न आना तथा दिनांक 12.02.2021 एवं 13.01.2021 को आकस्मिक अवकाश पत्र व्यवहार पर दर्ज है किन्तु कोई आन लाइन अवकाश नहीं लिया गया है। 2. विद्यालय में बच्चों को स्वेटर का वितरण नहीं किया है। 3. कम्पोजिट ग्राण्ट की धनराशि का सदुपयोग नहीं किया गया है। 4. विद्यालय भवन की रंगाई-पुताई का कार्य ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया जबकि विद्यालय का नाम तक नहीं लिखा गया है। 5. सेट-2 का रिपोर्ट कार्ड अद्यतन बच्चों को नहीं बांटा गया है। 6. सफेद श्यामपट्ट विद्यालय में उपलब्ध है किन्तु उसे यथा स्थान नहीं लगाया गया है। 7. विद्यालय कक्षा कक्षाओं में साफ-सफाई

		बिल्कुल नहीं है। लम्बे समय से कोई साफ-सफाई नहीं हुई है, प्रधानाध्यापक कक्ष भी अस्त-व्यस्त एवं गंदा मिला। 8. विद्यालय में प्र०अ० के खराब नेतृत्व के कारण मिशन प्रेरणा ई-पाठशाला आदि गतिविधियां संचालित नहीं मिली। 9. निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु सौंपे गये सुपरवाइजर के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है।
2	ज्ञान प्रकाश, स०अ० कम्पोजिट उ०प्रा० वि० विश्रामपुर, वि०ख० अकबरपुर अम्बेडकरनगर।	1. शासनादेश/विभागीय निर्देशों का उल्लंघन एवं उसके विपरीत कार्य किया जाना। 2. 6 से 14 आयु वर्ग के परिषदीय/अशासकीय सहायकता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 तक छात्र-छात्राओं बोर्डों के विद्यालयों महाविद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों तथा अन्य बाहरी व्यक्तियों का आधार पंजीयन किया जाना। 3. विकास खण्ड अकबरपुर के परिषदीय/अशासकीय सहायकता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आधार पंजीयन का लक्ष्य पूर्ण न करते हुए बल्कि अन्य व्यक्तियों का आधार पंजीयन करना। 4. आधार पंजीयन एवं संशोधन के लिए यू०आई०डी०ए०आई०/विभाग द्वारा निर्धारित

		शुल्क के अतिरिक्त धनराशि अवैध रूप से वसूल किया जाना। 6. प्रतिदिन किये जाने वाले आधार पंजीयन का रजिस्टार /रिकार्ड न बनाया जाना। 7. भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हुए अवैध वसूली करना। 8. विभागीय छावि धूमिल करना। 9. कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का उलंघन किया जाना।
3	शशि कुमार मिश्रा स0अ0 कम्पोजिट उ0प्रा0वि0 भड.सार, वि0ख0 अकबरपुर अम्बेडकरनगर।	1. शासनादेश/विभागीय निर्देशों का उल्लंघन एवं उसके विपरीत कार्य किया जाना। 2. 6 से 14 आयु वर्ग के परिषदीय/अशासकीय सहायकता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 तक छात्र-छात्राओं बोर्डों के विद्यालयों महाविद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों तथा अन्य बाहरी व्यक्तियों का आधार पंजीयन किया जाना। 3. विकास खण्ड अकबरपुर के परिषदीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आधार पंजीयन का लक्ष्य पूर्ण न करते हुए बल्कि अन्य व्यक्तियों का आधार पंजीयन करना। 4. आधार पंजीयन एवं संशोधन के लिए

		यू0आई0डी0ए0आई0/विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त धनराशि अवैध रूप से वसूल किया जाना। 5. प्रतिदिन किये जाने वाले आधार पंजीयन का रजिस्टार /रिकार्ड न बनाया जाना। 6. भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हुए अवैध वसूली करना। 7. विभागीय छावि धूमिल करना। 8. कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का उलंघन किया जाना।
4	कुसुमाकर पाण्डेय इं0प्र0अ0 कम्पोजिट उ0 प्रा0 वि0 महुवल बरौना, वि0ख0 अम्बेडकरनगर।	1. मध्यान्ह भोजन निधि खाते से रू0 17000/- अनियमित तरीके से आहरित करना। 2. 30 बच्चों का कन्वर्जन कास्ट नगद वितरित किया जाना, जिसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करना। 3. शासन व विभागीय निर्देशों के क्रम में 76 दिवस, 49 दिवस व 124/138 दिवस के विभाग से प्राप्त परिवर्तन लागत की धनराशि शिक्षारत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के खाते में प्रेषित न किया जाना।

		4. शासन व विभागीय निर्देशों के बावजूद नगद धनराशि छात्रों को वितरित किया जाना। 5. विद्यालय प्रबंध समिति के खाते से अपने नाम धनराशि ₹0 205000/- एवं सरिता पत्नी पन्ना लाल के नाम ₹0 40000 का चेक काट अनियमित तरीके से आहरित किया जाना। 6. विद्यालय प्रबंध समिति के खाते से आहरित धनराशि के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत न करना। 7. शासन, विभागीय निर्देशों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किया जाना।
5	चन्द्रभान यादव प्र0अ0 प्रा0वि0 गनपतपुर, वि0ख0 जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर।	1. वित्तीय अनियमितता करना। 2. एम0डी0एम0 खाते से नियम विरुद्ध एवं मनमाने ढंग से विभिन्न चेकों के माध्यम से स्वयं के नाम ₹0 146450/- एवं अपने परिचितों के नाम से ₹0 69900/- का विभिन्न तिथियों में आहरण करना। 3. उपस्थित पंजिका पर जबरदस्ती वाइटनर लगाकर अपना हस्ताक्षर बनाना। 4. बिना अवकाश लिए एवं सक्षम स्तर पर

		सूचना दिये बगैर विद्यालय से अनुपस्थित रहना। 5. शिक्षक आचरण सेवा नियमावली का घोर उलंघन करना। 6. विभागीय आदेशों की अवहेलना करना।
6	सरस पटेल, स0अ0 प्रा0वि0 ख्वाजापुर, वि0ख0 रामनगर अम्बेडकरनगर।	पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध होने के कारण निलंबित।

अब तक कुल 04 शिक्षकों को निलम्बन से बहाल किया गया है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी/जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के क्रम में बहाल किया गया है।

संदीप सिंह

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

बेसिक शिक्षा विभाग